निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SE-134/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला आबकारी अधिकारी, पौडी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला आबकारी अधिकारी, पौडी के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रमेश कुमार केशरी एवं श्री एस.एस दरीयाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 22.01.2018 से 30.01.2018 तक श्री पी.के. गुप्ता लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1) परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सिराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रवि भूषण, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 13.06.2016 से 18.06.2016 तक श्री एन.के.सिन्हा लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2014 से 03/2016 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** – सम्पूर्ण पौड़ी जनपद

3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व ¼: **yk[k esa½**
2014-15	6574.81
2015-16	8108.31
2016-17	7801.48

(ii)(c) बजट का विवरण:-विगत दो वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		

2014-15					98,39,000	96,44,996		1,94,004
2015-16					1,16,16,000	1,12,49,519		3,66,481
2016-17					1,38,46,000	1,21,18,711		17,27,289

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
एसी कोई योजना नहीं है।					

(iii) इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -A--श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

आबकारी सचिव> आबकारी आयुक्त >अपर आबकारी आयुक्त> संयुक्त आबकारी आयुक्त > उप आबकारी आयुक्त > सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी > आबकारी अधिकारी/ निरीक्षक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **जिला आबकारी अधिकारी, पौडी** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला आबकारी अधिकारी, पौडी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्वः माह 03/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्ययः माह 11/2016 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 क

प्रस्तर:-1- बकाया लाइसेंन्स फीस पर ब्याज का अनारोपण रु. 5.34 लाख

उत्तराखण्ड आबकारी एक्ट की धारा - 38 ए के अनुसार बकाया आबकारी राजस्व पर 18% वार्षिक की दर से ब्याज देय है। यदि कोई बकाया राजस्व तीन माह के अन्दर जमा नहीं किया गया तो 24% वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा।

उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या -118/XXIII/2016/04(1)2016 दिनांक 25 फरवरी 2016 की अधिसूचना के बिन्दु संख्या-2 के अनुसार मदिरा की दुकानों की लाईसेंस फीस रु. 25 लाख से अधिक निर्धारित होने की स्थिति में रु. 25 लाख व्यवस्थापन के समय एकमुश्त तथा शेष धनराशि मासिक किश्तों में माह सितम्बर, 2016 तक या उससे पूर्व वसूल की जाएगी।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी पौड़ी, गढ़वाल के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जिले की सभी दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2016-17 हेतु दिनांक 21.03.2016 को हुआ था। जिनमें श्रीनगर की रु. 9648000/= पौड़ी की रु॰ 6545000/= व कोटद्वार की रु. 8372000/= लाइसेन्स फीस निर्धारित की गयी थी। उक्त तीनों **अनुज्ञापियों** द्वारा लाइसेन्स फीस रु. 25 लाख एकमुश्त व्यवस्थापन की दिनांक 21-03-2016 को व शेष धनराशि छः मासिक किश्तों में सितम्बर 2016 तक जमा कराया जाना अपेक्षित था। किन्तु सभी **अनुज्ञापियों** द्वारा लाइसेन्स फीस निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं की गयी थी। अतः लाइसेन्स फीस विलम्ब से जमा करने पर 534439/-(गणना संलग्न) ब्याज भी देय था, जिसका आरोपण जिला आबकारी अधिकारी द्वारा नहीं किया गया।

विभाग के **संज्ञान** में लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि उक्त अधिसूचना के बिन्दु संख्या-2 में व्यवस्था दी गयी है कि रु. 25 लाख से अधिक होने पर लाइसेन्स फीस माह सितम्बर तक जमा करायी जानी थी। जिसे सितम्बर -16 में जमा कराया गया है। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब राजस्व जमा करने में नहीं हुआ है। देयता की तिथि पर या इससे पूर्व समस्त लाइसेन्स फीस जमा करा ली गयी है। किसी प्रकार का कोई राजस्व की हानि नहीं हुई है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि रु. 25 लाख से अधिक होने पर, दूकानो के व्यवस्थापन के समय 25 लाख एवं अवशेष धनराशि मासिक किश्तों मे माह सितम्बर तक जमा करना अनिवार्य है।

अत: ब्याज रु. 5.34 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

nqdku dk uke	ns; /kujkशि	ns; frfFk	tek /kujkशि	tekdju sdhfrfFk	foyEc dh vof/k	C;kt dh nj	C;kt dh /kujkशि	tek /kujkशि का वि**oj.k**
Jhuxj	1191333	30-4-2016	1191333	30-9-2016	5 ekg	24%	119133	2500000fn- 6-4-2016
	1191333	31-5-2016	1191333	30-9-2016	4 ekg	24%	95307	7148000fn-30-9-2016
	1191333	30-6-2016	1191333	30-9-2016	3 ekg	18%	53610	
	1191333	31-7-2016	1191333	30-9-2016	2 ekg	18%	35740	
	1191333	31-8-2016	1191333	30-9-2016	1 ekg	18%	17870	
	1191335	30-9-2016	1191333	30-9-2016	&	&	&	
						;ksx	**321660**	
ikSMh	674166	30-4-2016	674166	18-7-2016	2ekg 18 fnu	18%	26292	2500000fn- 7-4-2016
	674166	31-5-2016	325834 348332	18-7-2016 10-8-2016	1ekg 18 fnu 2ekg 10 fnu	18%	7820 12192	1000000fn-18-7-2016 1000000fn-10-8-2016
	674166	30-6-2016	651668 2249	10-8-2016 23-8-	1ekg 10 fnu 1ekg 23	18%	13033 596	800000 fn-23-8-2016

			8	2016	fnu			
	674166	31-7-2016	674166	23-8-2016	23fnu	18%	7753	
	674166	31-8-2016	103336 570830	23-8-2016 14-9-2016	& 14fnu	18%	& 3996	600000 fn-14-9-2016
	674170	30-9-2016	29170 645000	14-9-2016 20-9-2016	& &	18%	& &	645000 fn-20-9-2016
						;ksx	**71682**	
dksV} kj	2500000 978666	21-3-2016 30-4-2016	2500000 978666	7-4-2016 5-8-2016	17fnu 3 ekg 5 fnu	18% 24%	21250 61982	2500000 fn-7-4-2016
	978666	31-5-2016	978666	5-8-2016	2 ekg 5 fnu	18%	31807	2372000 fn-5-8-2016
	978666	30-6-2016	414668 563998	5-8-2016 12-8-2016	1ekg 5fnu 1ekg 12 fnu	18%	7257 11844	2500000fn-16-8-2016 1000000fn-12-8-2016
	978666	31-7-2016	436002 542662	12-8-2016 16-8-2016	12fnu 16fnu	18%	2616 4341	& &
	978666	31-8-2016	978666	16-8-2016	&	&	&	&
	978670	30-9-2016	978670	16-8-2016	&	&	&	&
						;ksx	**141097**	
						egk;ksx	**534439**	

भाग 2 अ

प्रस्तर-02 अनुज्ञापियों द्वारा निश्चित समयावधि मे आवश्यक दस्तावेज जमा न किए जाने के बावजूद लाईसेंस फीस जब्त न किया जाना ₹ 349.72 लाख।

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग संख्या 118/XXIII/2016/04(01) 2016 देहरादून दिनांक 25 फरवरी 2016 के अनुसार आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु नियम 18(3) मे यह प्रावधान किया गया है कि दुकान आंवटित होने के 20 दिन के अन्दर यदि अनुज्ञापी हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र और स्थायी निवास प्रमाण-पत्र जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय मे प्रस्तुत नही करता है तो इस दशा मे अनुज्ञापी को आंवटित देशी/विदेशी मदिरा दुकान का आवंटन अनुज्ञापी के जोखिम The Uttarakhand Excise (settlement of licenses for retail sale country /foreign liquor/beer rule, 2001) से स्वत: निरस्त माना जायेगा तथा अनुज्ञापी द्वारा जमा किये गये समस्त राजस्व को सरकार के पक्ष मे जब्त कर दिया जायेगा। यदि आवेदक के पास पैन नम्बर नही हो, तो उसे दुकान आवंटन के 20 दिन के अन्दर पैन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे दिया गया लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, पौड़ी के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2016-17 हेतु दुकानों का आवंटन दिनांक 21.03.16 को किया गया था। इसके सापेक्ष सभी वांछित अभिलेख दिनांक 09-04-2016 तक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। जनपद के (संलग्नक) 15 अनुज्ञापियों द्वारा आवश्यक सभी/पूर्ण अभिलेख आबकारी नीति के नियम-18 के अनुसार निश्चित समयावधि मे प्रस्तुत नही किए गये थे (सूची संलग्न)। अतः विदेशी मदिरा की लाईसेंस फीस □34972000/= जब्त कर लाईसेन्स निरस्त किया जाना अपेक्षित था एवं इसके अतिरिक्त 20 दिन के अन्दर अन्य जमा राजस्व भी जब्त किया जाना अपेक्षित था। परन्तु विभाग द्वारा लाइसेन्स निरस्त कर राजस्व जब्त की कार्यवाही नहीं की गयी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि आबकारी नीति के अनुसार उक्त वांछित प्रपत्र जमा करने में कुछ विलम्ब होने की दशा में मेरे द्वारा अनुज्ञापियों को नोटिस जारी की गयी थी, तथा लाइसेंसिंग प्राधिकारी /जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान में लाकर आबकारी आयुक्त / शासन से दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की गयी थी शासन से दिशा निर्देश प्राप्त होने की प्रत्याशा में निरस्त करने सम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। इसी क्रम में अनुज्ञापियों द्वारा वांछित प्रमाण पत्र हैसियत/ स्थायी/ चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिये गए।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त शासनादेश के अनुसार निर्धारित समयावधि में सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर लाइसेन्स फीस को जब्त किया जाना अपेक्षित था। जो विभाग द्वारा जब्त नहीं किया गया था।

अतः प्रकरण को शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 क

प्रस्तर:-3-आवेदन पत्र की बिक्री पर कर वसूल न किए जाने से राजस्व क्षति रु. 64.33 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 2 के अनुसार व्यौहारी (dealer) से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपने कारोवार के प्रयोजन के लिए या उसके सम्बन्ध में नकद या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल का क्रय ,विक्रय का कारोवार करता है। इस अधिनियम की धारा 42 के अनुसार विक्रय कीमत से मूल्यवान प्रतिफल की वह धनराशि अभिप्रेत है जो व्यौहारी द्वारा किसी माल के विक्रय के लिए प्राप्त की गयी है या प्राप्य है । इसी अधिनियम की धारा 4(2)(i)(ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची मैँ सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर की दर 13.5% निर्धारित की गयी है ।

उत्तराखण्ड शासन, आवकारी अनुभाग की अधिसूचना स॰-118/XXIII/2016/04(01)/2016 देहारादून दिनांक 25-02-2016 के बिन्दु स॰ 5 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में विदेशी मदिरा दुकान हेतु रु 22000/- आवेदन पत्र शुल्क निर्धारित किया गया था। जो वापसी योग्य (Non-Refundable) नहीं था।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी पौड़ी, गढ़वाल के अभिलेखों मैँ वर्ष 2016-17 की व्यवस्थापन पत्रावली की जांच मैँ पाया गया की विदेशी मदिरा की दुकानों की लाटरी/नीलामी हेतु 2166 आवेदन पत्रों को विक्रय किया गया था। आवेदन पत्रों की बिक्री से प्राप्त धनराशि रु 47652000/= को लेखाशीर्ष 0039- राज्य उत्पादन शुल्क, 800- अन्य प्राप्तियाँ, 05- आवेदन शुल्क (अन्य मद) में जमा किया गया था। उक्त धाराओ के अनुसार आवेदन पत्रों की बिक्री से

प्राप्त धनराशि रु 47652000/= पर 13.5% की दर से रु 6433020/= कर राजकोष मैं जमा किया जाना अपेक्षित था। जो विभाग द्वारा जमा नहीं किया गया था।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि आबकारी नीति में वैट लगाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की उक्त धाराओं के अनुसार प्रत्येक बिक्री पर कर आरोपणीय है।

अत: उक्त राजस्व क्षति रु. 64.33 लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
SE-34/2000-01	01	-	-
SE-13/2002-03	**01**	**-**	**-**
SE-28/2005-06	**01**	**-**	**-**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : लागू नहीं

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

व्यय से संबन्धित: - लागू नहीं

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य**
(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य – टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **जिला आबकारी अधिकारी, पौडी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   शून्य टिप्पणी

2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री प्रभाशंकर मिश्रा	सहायक आबकारी आयुक्त

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला आबकारी अधिकारी, पौडी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र